भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †294

दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

पंचायतों में कम्प्यूटर की उपलब्धता

†294. श्री पी.आर.नटराजन:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास डिजिटल इंडिया की चुनौती से निपटने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम्प्यूटर की उपलब्धता के संबंध में कोई डेटा है;

(ख) यदि हां, तो देश में मौजूद पंचायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी तक कितनी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) अब तक प्रदान की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर उपलब्ध करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) जी, हाँ। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 269073 ग्राम पंचायतों (जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) में से 226063 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है और 43010 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना शेष है।

(ग) से (ड.) 'पंचायत' राज्य का विषय होने के फलस्वरूप, ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराना राज्यों का प्राथमिक दायित्व है। हालाँकि, दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, ग्राम पंचायत के कामकाज में सहायता के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित/मांग के अनुसार सीमित पैमाने पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनानुसार प्रति ग्राम पंचायत 50,000/- रूपये तक का कंप्यूटर प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान देने सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा किया जा रहा है|

*****